भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर 2004

सं0 301–37/2004–इकॉन.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में संशोधन करके, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

(i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (32 वां संशोधन) आदेश, 2004 (2004 का क्रमांक 7)" कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ (अठ्ठाइसवां संशोधन) आदेश 2003 की अनुसूची I [बुनियादी सेवाएं (आईएसडीएन को छोड़कर)] में मद सं0 (9.a) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

10. लंबी दूरी की कॉलों के मामले में मदवार बिलों के लिए टैरिफ	शून्य
11. दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश, 2003 की अनुसूची I में शामिल व बिलिंग साइकिल सहित टैरिफ से संबंधित अन्य मामले	प्रविरिति (Forbearance)

3. दूरसंचार टैरिफ (चौबीसवां संशोधन) आदेश, 2003 की अनुसूची II [सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (CMTS)] में निम्नलिखित को मद सं0 7 की तरह डाला

जाएगा और अनुसूची II में वर्तमान मद सं0 (7) का क्रमांक बदल कर मद सं0 (8) के रूप में लिखा जाएगा, यथाः

(7) लंबी दूरी की कॉलों के मामले में मदवार बिलों के लिए टैरिफ	शून्य
(8) बिलिंग साइकिल सहित टैरिफ से संबंधित अन्य मामले	प्रविरिति

खंड III

इस आदेश में अनुलग्नक के रूप में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जो दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में इस संशोधन के कारणों को स्पष्ट करता है।

आदेशानुसार,

(एम. कन्नन)
सलाहकार (आर्थिक)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अनुलग्नक

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उपभोक्ताओं से शिकायते मिलती रही हैं कि, लंबी दूरी की कॉलों के मामले में, सेवा प्रदाता मदवार बिल देने के लिए अलग से प्रभार लगा रहे हैं।

2. प्राधिकरण ने इस मामले पर, बुनियादी, सेल्युलर, यूनीफाइड एक्सेस सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी (NLD) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (ILD) की सेवाओं से संबंधित लाइसेंस करारों में बिलिंग और उपभोक्ता सेवा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार किया है।

3. बुनियादी सेवा, एनएलडी (NLD) और आईएलडी (ILD) सेवाओं के लाइसेंस करारों में यह व्यवस्था है कि,उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के लंबी दूरी की कॉलों से संबंधित मदवार बिल दिए जाएंगे।

सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (CMTS) और यूनीफाइड एक्सेस सेवा के लाइसेंस करारों के प्रावधानों के अंतर्गत, लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सेवा के उपयोग के लिए अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करे या इसकी व्यवस्था करे। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारी की बिलिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उससे बिल की सत्यता के बारे में उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त विवरणों सहित, बिलिंग संबंधी सूचना प्रस्तुत की जा सके। इन सेवाओं के लाइसेंस करारों के अनुसार यह भी अनिवार्य है कि, समय–समय पर, इस बारे में प्राधिकरण के निर्देशों का पालन होना चाहिए।

4. प्राधिकरण ने इस तथ्य को भी नोट किया है कि कैरियर एक्सेस कोड/कैरियर प्री–सलेक्शन के अभाव में, एक्सेस प्रदाता ही NLDO/ILDO का चयन कर रहे हैं और इन सेवाओं के टैरिफों का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा हो रहा है।

5. सेवा प्रदाताओं द्वारा लंबी दूरी की कॉलों पर लगाए गए प्रभारों को जानना और उनकी सत्यता सुनिश्चित करने का उपभोक्ताओं को अधिकार है। प्री–पेड उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के, कॉल–से–कॉल तक के आधार पर यह जानकारी प्राप्त करने की सुविधा है लेकिन अनेक एक्सेस प्रदाताओं के पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं को यह सूचना प्राप्त करने के लिए फिलहाल अतिरिक्त प्रभार देना पड़ता है। बुनियादी, सेल्युलर, यूनीफाइड एक्सेस, एनएलडी (NLD) और आईएलडी (ILD) लाइसेंसों के करारों में बिलिंग से संबंधित व्यवस्थाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, और सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए, प्राधिकरण ने यह अनिवार्य करने का निर्णय लिया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा भेजे गए बिलों में उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित पर्याप्त सूचना होनी चाहिए, और यह भी कि यदि कोई उपभोक्ता लंबी दूरी की कॉलों से संबंधित मदवार बिलों को चाहता है तो वह उसे निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिए।

6. दूरसंचार टैरिफ आदेश के इस संशोधन आदेश में प्राधिकरण के इस निर्णय को समाहित किया गया है कि कोई पोस्ट पेड उपभोक्ता लंबी दूरी की कॉलों के मामले में यदि मदवार बिल मांगता है तो एक्सेस प्रदाता द्वारा बिना प्रभार उसे यह उपलब्ध कराया जाएगा।